उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 27.02.2019

यू0पी0सी0एल0 के वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा तृतीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए व्यापार योजना तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु टैरिफ याचिका (बहुवर्षीय टैरिफ याचिका) पर निर्धारण हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई। उक्त पीटिशन के साथ यूपीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) का अनुरोध भी किया गया है।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 14.67% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 7328.63 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दर्शायी गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए दर्शित धनराशि रू0 883.41 करोड़ के राजस्व अन्तर की वसूली के लिए यू0पी0सी0एल0 द्वारा औसत टैरिफ दरों में लगभग 13.70% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी थी।

- इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के समीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः–

  (1) वित्तीय वर्ष 2017–18 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर अन्तिम सहीकरण (truing up)।

  (2) तृतीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए व्यापार योजना।

  (3) वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु टैरिफ निर्धारण।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 6549.39 करोड़ निर्धारित किया गया है। उक्त ARR में वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तिम सहीकरण के फलस्वरूप आंगणित धनराशि के समायोजनोपरान्त अनुमोदन किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये 12398 एम0यू0 की अनुमानित विक्रय पर वर्तमान टैरिफ के अनुरूप रू0 6371.56 करोड़ का राजस्व आंकलित की गयी, जिसके फलस्वरूप रू0 177.83 करोड़ का अंतर पाया गया। इस राजस्व रू0 177.83 करोड के अन्तर को पूरा किये जाने हेतु वार्षिक टैरिफ में 2.79% की वृद्धि की आवश्यकता थी।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु उपरोक्त अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू0 6549.39 करोड़ तथा अनुमानित विक्रय 12398 एम0यू0 के आधार पर याचिकाकर्ता की औसत आपूर्ति की दर रू 5.28/kWh निर्धारित की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु औसत आपूर्ति की दर रू 5.04/kWh अनुमोदित की गयी थी।

- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वितरण हानि क्रमशः 14.25%, 14.00% तथा 13.75% स्वीकृत की गई (जबकि यूपीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वितरण हानि क्रमशः 14.67%, 14.42% तथा 14.27% प्रस्तावित की गयी थी)। आयोग द्वारा इस प्रकार अनुमानित विक्रय एवं वितरण हानि के अन्तर को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कुल 14,663 एम0यू0 ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च	5380.20	5176.19
2.	वाटर टैक्स	269.49	226.72
3.	यूजेवीएन लि0 बकाया		(2.17)
4.	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	559.21	509.73
	पिटकुल	289.68	255.01
5.	एस0एल0डी0सी0 चार्जेज	17.51	11.35
6.	ऋण पर ब्याज	197.59	142.42
7.	मूल्य ह्रास	166.72	143.38
8.	O&M व्यय	635.77	551.95
9.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	14.38	0.00
10.	लाभांश	114.13	90.11
11.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	**7644.69**	**7104.70**
12.	घटायाः गैर टैरिफ आय	149.29	250.00
13.	जोड़ः सहीकरण का प्रभाव अन्तर/(अधिशेष)	(166.77)	(305.31)
14.	शुद्ध राजस्व आवश्यकता	**7328.63**	**6549.39**
15.	वर्तमान टैरिफ पर कुल आय	6445.22	6371.56
16.	अन्तर / (अधिशेष)	**883.41**	**177.83**

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दु:

- आयोग द्वारा टैरिफ में लगभग 2.79% की वृद्धि की गयी है। जबकि यूपीसीएल द्वारा अपने प्रस्ताव में लगभग 13.7% की टैरिफ वृद्धि तथा अन्य विद्युत कम्पनियों के प्रस्ताव कुल टैरिफ वृद्धि लगभग 25.85% प्रस्तावित की गयी थी।

- आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ पुनर्निर्धारण करते समय सभी श्रेणियों में क्रॉस–सब्सिडी को कम रखने का प्रयास किया गया है।

- बीपीएल एवं हिमाच्छादित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। (बीपीएल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 4.5 लाख है, जो कि घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के 20% के बराबर है)।

- 100 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसा प्रति यूनिट की मामूली वृद्धि की गयी है तथा स्थिर प्रभार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। (इस प्रकार के उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 10.5 लाख है, जो कि घरेलू उपभोगताओं की संख्या के 45% है)
- गौशाला/गौसदन जिनका लोड 2 kW तक है तथा उपभोग 200 यूनिट प्रतिमाह तक है उन्हें घरेलू श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
- ''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018'' के अन्तर्गत पंजीकृत होम–स्टे को घरेलू श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

➢ आयोग ने क्रॉस सब्सिडी को धीरे–धीरे कम करने के उद्देश्य से पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए विद्युत के मूल्य रू0 1.84/kWh से वृद्धि कर रू0 1.95/kWh किया गया है। टैरिफ पॉलिसी में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत सभी श्रेणियों का टैरिफ औसत मूल्य आपूर्ति के +/-20% की सीमा के भीतर रखना होता है। पीटीडब्ल्यू का टैरिफ अगर आपूर्ति की औसत लागत का 80% निर्धारित किया जाता है तो वह रू0 4.22/kWh होता है। इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप टैरिफ शॉक होगा, इसलिए पीटीडब्ल्यू के लिए टैरिफ में आपूर्ति की औसत लागत से 63.07% कम रखा गया है, जो कि पिछले टैरिफ आदेश में आपूर्ति की औसत लागत 63.55% से कम है।

- औद्योगिक उपभोक्ता, जो कि वर्तमान में अविरल आपूर्ति उपभोक्ता है, तथा वे इस श्रेणी में जारी रहना चाहते हों तो उन्हें निरन्तर आपूर्ति हेतु पुनः आवेदन नहीं करना होगा। अविरल आपूर्ति सरचार्ज यथावत् 10% निर्धारित है।
- वे उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटरींग के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहें हैं उन्हें विद्युत प्रभार पर घरेलू श्रेणी में 4% तथा अन्य एल0टी0 उपभोक्ता को 3% की छूट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी। प्रीपेड मीटरिंग की सम्बन्धित अन्य शर्तें भी टैरिफ आदेश में अनुमोदित की गई है।

- स्टेकहोल्डरों के अनुरोध एवं लोड पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए, शीतकाल के महीनों में समयानुसार टैरिफ (TOD) स्लॉट को इस प्रकार परिवर्तित किया गया है कि सामान्य उद्योगों को 8 घण्टे की कार्यावधि के साथ 01 घण्टा मध्यान पर सामान्य टैरिफ लागू होगा। संशोधित समयानुसार टैरिफ (TOD) स्लॉट निम्नवत् हैः–

सीजन / दिन का समय	सुबह पीक आवर्स	सामान्य घण्टे	सांय पीक आवर्स	ऑफ पीक आवर्स
शीतकाल 01.10 से 31.03	0600–0900 बजे	0900–1800 बजे	1800–2200 बजे	2200–0600 बजे
ग्रीष्मकाल 01.04 से 30.09	–	0700–1800 बजे	1800–2300 बजे	2300–0700 बजे

- माह में प्रतिदिन 18 घण्टे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमान्ड चार्जेज उस माह में 80% लगाया जायेगा।
- घरेलू श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार विभागीय उपभोक्ताओं की बिलिंग की जायेगी।
- उपभोक्ताओं की श्रेणियों में टैरिफ की सामान्य वृद्धि उपरान्त औसत बिलिंग दर में वृद्धि निम्नवत् हैः

तालिका–2 : वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु औसत बिलिंग दर में वृद्धि

श्रेणी	औसत बिलिंग दर		वृद्धि **(Rs. Per unit)**
	वर्तमान	अनुमोदित	
	Rs/kWh	**Rs/kWh**	
घरेलू	4.08	4.23	0.15
अघरेलू	5.83	6.10	0.27
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी	5.31	5.45	0.14
पीटीडब्ल्यू	1.84	1.95	0.11
एल0टी0 इंडस्ट्रीज	5.65	5.76	0.11
एच0टी0 इंडस्ट्रीज	5.62	5.79	0.18
मिक्स लोड	5.09	5.35	0.27
रेलवे	5.58	5.65	0.07

- घरेलू श्रेणी के लिये औसत टैरिफ वृद्धि लगभग 3.83% है तथा क्रॉस–सब्सिडी के स्तर -19.79% है, जो कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी में प्रदान की गई सीमा +/-20% के भीतर है।
- विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2019 से लागू होने वाली टैरिफ फुटकर दरों का ब्यौरा विवरण निम्नवत् हैः–

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु श्रेणीवार वर्तमान, प्रस्तावित तथा अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0–1: घरेलू

तलिका 3 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु प्रभार

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0–1: घरेलू						
1.1	लाईफ–लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	Rs. 55/ Connection	Rs. 2.65/kWh	Rs. 55/ Connection	Rs. 2.75/kWh	Rs. 55/ Connection	Rs. 2.75/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह	Rs. 80/ Connection	Rs. 3.45/kWh	Rs. 85/ Connection	Rs. 3.60/kWh	Rs. 85/ Connection	Rs. 3.55/kWh
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह	Rs. 135/ Connection	Rs. 4.70/kWh	Rs. 145/ Connection	Rs. 5.10/kWh	Rs. 145/ Connection	Rs. 4.90/kWh
(vi)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह	Rs. 220/ Connection	Rs. 5.40/kWh	Rs. 245/ Connection	Rs. 6.05/kWh	Rs. 230/ Connection	Rs. 5.65/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 70/kW	Rs. 4.25/kWh	Rs. 80/kW	Rs. 4.75/kWh	Rs. 75/kW	Rs. 4.40/kWh

आर0टी0एस0–1 ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 4 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित						
1	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
2	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh
3	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh
4	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 5 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0.	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि						
1.1	10 किलो वॉट तक	Rs. 60/ kW	Rs. 4.35/ kWh	Rs. 70/ kW	Rs 4.95/ kWh	Rs. 65/ kW	Rs. 4.50/ kWh
1.2	10 किलो वॉट से ऊपर तथा 25 किलो वॉट तक	Rs. 60/ kW	Rs. 4.35/ kWh	Rs. 80/ kVA	Rs 4.60/ kVAh	Rs. 65/ kW	Rs. 4.50/ kWh
1.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 70/ kVA	Rs. 4.05/ kVAh	Rs. 80/ kVA	Rs. 4.60/kVAh	Rs. 75/ kVA	Rs. 4.25/ kVAh
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता						
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 65 / kW	Rs. 4.55/ kWh	Rs. 70 / kW	Rs. 5.00/ kWh	Rs. 70 / kW	Rs. 4.70/ kWh
2.2	अन्य 10 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 70 / kW	Rs. 5.35/ kWh	Rs. 80 / kW	Rs. 6.10/ kWh	Rs. 75 / kW	Rs. 5.60/ kWh
2.2	10 किलो वॉट से ऊपर तथा 25 किलो वॉट तक	Rs. 70 / kW	Rs. 5.35/ kWh	Rs. 80 / kVA	Rs. 6.05/kVAh	Rs. 75 / kW	Rs. 5.60/ kWh
2.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 70 / kVA	Rs. 5.25/ kVAh	Rs. 80 / kVA	Rs. 6.05/kVAh	Rs. 75 / kVA	Rs. 5.45/ kVAh
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूति	Rs. 70 / kVA	Rs. 5.15/ kVAh	Rs. 80 / kVA	Rs. 5.90/kVAh	Rs. 75 / kVA	Rs. 5.50/ kVAh
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 85/ kW	Rs. 5.80/kWh	Rs. 100/ kW	Rs. 6.65/kWh	Rs. 90/ kW	Rs. 6.10/kWh

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ टैरिफ

तलिका 6 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
पब्लिक लैंप्स						
शहरी	Rs. 60/kVA	Rs. 4.85/ kVAh	Rs. 70/kVA	Rs. 5.60/ kVAh	Rs. 60/kVA	Rs. 5.20/ kVAh
ग्रामीण	Rs. 50/kVA	Rs. 4.85/ kVAh	Rs. 60/kVA	Rs. 5.60/ kVAh	Rs. 50/kVA	Rs. 5.20/ kVAh

आर0टी0एस0–4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 7 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स	Nil	Rs. 1.84/ kWh	Nil	Rs. 2.10/ kWh	Nil	Rs. 1.95/ kWh
कृषि सहयोगी सेवायें	Nil	Rs. 1.84/ kWh	Nil	Rs. 2.10/ kWh	Nil	Rs. 1.95/ kWh

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 8 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (10 किलोवॉट तक)	Rs. 145/ kW	Rs. 4.25/ kWh	Rs. 165/ kW	Rs. 4.85/ kWh	Rs. 145/ kW	Rs. 4.35/ kWh
2. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (10 किलोवॉट से ऊपर तथा 25 किलोवॉट तक)	Rs. 145/ kW	Rs. 4.25/ kWh	Rs. 165/ kVA	Rs. 4.45/ kVAh	Rs. 145/ kW	Rs. 4.35/ kWh
3. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट से ऊपर तथा 75 किलोवॉट तक)	Rs. 145/ kVA	Rs. 3.90/ kVAh	Rs. 165/ kVA	Rs. 4.45/ kVAh	Rs. 145/ kVA	Rs. 4.00/ kVAh

तलिका 9 : एच0टी0 इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
			विद्युत मूल्य **(Rs./kVAh)**	स्थिर प्रभार **(Rs./kVA**	विद्युत मूल्य **(Rs./kVAh)**	स्थिर प्रभार **(Rs./kVA)**	विद्युत मूल्य **(Rs./kVAh)**	स्थिर प्रभार **(Rs./kVA)**
1	**88kVA/75 kW (100 BHP)** से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज							
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.85	Rs. 295/kVA of the billable demand	4.46	Rs. 340/kVA of the billable demand	3.95	Rs. 300/kVA of the billable demand
		Above 40%	4.20		4.86		4.35	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.85	Rs. 355/kVA of the billable demand	4.46	Rs. 410/kVA of the billable demand	3.95	Rs. 360/kVA of the billable demand
		Above 40%	4.20		4.86		4.35	

आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तलिका 10 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		टैरिफ डिजाइन	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार						
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 75/kW	Rs. 4.80/kWh	Rs. 85/kW	Rs. 5.50/kWh	Rs. 80/kW	Rs. 5.05/kWh

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 11 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		टैरिफ डिजाइन	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 245/kVA	Rs. 4.35/ kVAh	Rs. 280/kVA	Rs. 5.00/ kVAh	Rs. 250/kVA	Rs. 4.40/ kVAh

<u>घरेलू उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग प्रभार</u>

उपभोग	वर्तमान टैरिफ				अनुमोदित टैरिफ				वृद्धि % में
	स्थिर प्रभार	विद्युत मूल्य	योग	औसत मूल्य	स्थिर प्रभार	विद्युत मूल्य	योग	औसत मूल्य	
यूनिट प्रतिमाह	Rs	Rs	Rs	Rs/KWh	Rs	Rs	Rs	Rs/kWh	
100	55	265	320	3.20	55	275	330	3.30	3.12%
200	80	610	690	3.45	85	630	715	3.58	3.62%
300	135	1080	1215	4.05	145	1120	1265	4.22	4.12%
400	135	1550	1685	4.21	145	1610	1755	4.39	4.15%
500	220	2090	2310	4.62	230	2175	2405	4.81	4.11%

****